न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 13 / 2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1मोहम्मद इकबाल पुत्र लाडशाह जाति मुसलमान निवासी कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.07.2021

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा ग्राम कुचेरा के शुद्वि पत्र नामान्तरकरण सं. 2 निर्णय दिनांक 10.01.2020 से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.03.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 01.06.2020 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में शुद्वि पत्र नामान्तरकरण सं. 2 दिनांक 10.01.2020 की फोटोप्रति, पहचान पत्र की फोटोप्रति, राशन कार्ड की फोटोप्रति तथा मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि तहसीलदार मुण्डवा द्वारा शुद्वि पत्र म्यूटेशन सं. 02 आदेश दिनांक 10.01.2020 की पूर्व मे कोई जानकारी अपीलांट को नही थी और उक्त आदेश को तहसीलदार के द्वारा अपीलांट को बताया तक नही गया था, न ही सुनवाई का अवसर दिया। अपीलांट को जानकारी होने पर अपीलांट ने नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया, परंतु अपीलांट को दिनांक 28.02.2020 को शुद्वि पत्र की नकल उपलब्ध करवायी। जिसके तुरंत बाद उक्त अपील पेश की। जिसे जानकारी से अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। अपीलांट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जिसका राजकीय अधिवक्ता द्वारा कोई विरोध नही किया गया। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–आदेश जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से विपरीत होने से प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है।

{2}(II)–आलोच्य म्यूटेशन आदेश राज. भू राजस्व अधिनियम एवं उसके तहत बने राज. भू राजस्व (भू. अभिलेख) नियमो के आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य आदेश पारित किये जाने से पूर्व इस विवादित भूमि के खातेदार एवं उसके विधिक उतराधिकारियो को किसी भी प्रकार की सुनवाई का अवसर तक नही दिया है और भूमि के खातेदार एवं उसके विधिक उतराधिकारियो को बिना सुने, उनके विरूद्व आलोच्य आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की अवहेलना करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि की खातेदारी "लाडशाह पुत्र शोकनीशाह" होना स्वीकृत स्थिति थी और अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि की खातेदारी मे दर्ज प्रविष्टि मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन किये जाने से पूर्व खातेदार या उसके विधिक उतराधिकारियो को नोटिस जारी करके, सुनवाई का अवसर प्रदान कर, साक्ष्य सबूत व जवाबदेही का पर्याप्त समय व अवसर प्रदान करने के बाद ही आदेश पारित

अपर कलक्टर, नागौर

करना था परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया नही अपनायी और एकपक्षीय रूप से उक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(V)–विवादित भूमि की खातेदारी मे गलत अनुचित व अवैध प्रकार से किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने की संभावना के रहते अपीलांट ने अपने विधिक अधिकारो को सुरक्षित रखने के उददेश्य से एक आवेदन अधीन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का भी प्रस्तुत किया। जिसमे स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि विवादित भूमि के खातेदार व उनके गोद पिता लाडशाह का देहान्त हो चुका है और उनके विधिक उतराधिकारी उनका गोद पुत्र अपीलांट ही है। जिससे प्रकरण मे किसी भी प्रकार की कार्यवाही आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को पक्षकार बनाया जाकर उसको साक्ष्य सुनवाई जवाबदेही का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जावे। उक्त आवेदन के प्रस्तुत होने के बाद उक्त आवेदन के प्रस्तुतकर्ता को आवेदन पर सुनवाई का अवसर प्रदान करके एवं आवेदन को विधि अनुसार निर्णीत किया जाना आज्ञापक है परंतु उक्त आवेदन को बिना निर्णीत किये उक्त आवेदन के लंबित रहते अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित नियमो व आज्ञापक प्रावधानो को नजरअंदाज करते हुए मनमाने तरीके से, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आलोच्य आदेश एकपक्षीय रूप से बिना किसी आधार व युक्तियुक्त प्रकार से जारी किया गया है जो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(VI)–विवादित भूमि के खातेदार लाडशाह पुत्र शोकीनशाह का देहान्त वर्ष 1997 मे हो चुका है और उसका विधिक उतराधिकारी अपीलांट ही है। उक्त भूमि की खातेदारी आज भी लाडशाह के नाम से दर्ज है परंतु खातेदारी मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन किये जाने से पूर्व विधि अनुसार खातेदार को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। हस्तगत प्रकरण मे खातेदार की मृत्यु के संबंध मे बिना किसी प्रकार की जांच किये ही मृत खातेदार के खिलाफ उक्त आदेश पारित किया गया है, इस प्रकार उक्त आलोच्य आदेश मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित होने से इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(VII)–विवादित भूमि की खातेदारी मे किसी भी प्रकार का परितर्वतन करने से पूर्व किसी सक्षम न्यायालय का कोई निर्णय व डिक्री जारी नही की गयी थी तो ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित व स्वीकृत म्यूटेशन क्षेत्राधिकार से परे होने से इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(VIII)–अपीलांट के पिता लाडशाह की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खेत खसरा नं. 17 रकबा 1.8211 हैक्ट., खसरा नं. 18 रकबा 1.8211 हैक्ट. व खसरा नं. 232 रकबा 1.9425 हैक्ट. ग्राम कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर की राजस्व सीमा मे स्थित रहती चली आयी है। उक्त भूमि की खातेदारी पूर्व मे अपीलांट के पिता लाडशाह पुत्र शोकीन शाह के नाम से दर्ज रहती चली आयी है। उक्त भूमि के खातेदार लाडशाह का देहान्त 18.12.97 को हो चुका है। खातेदार लाडशाह के कोई जायन्दा सतांन नही होने से सन 1989 मे उन्होने अपने भाई गुलाम मो. के पुत्र अपीलांट मो. इकबाल को गोद लिया और उसको कुचेरा लेकर आ गया था। अपीलांट अपने गोद पिता के साथ ही निवास करता था और उनकी सेवा चाकरी करता था। सन 1991 मे लाडशाह के द्वारा पारिवारिक व सामाजिक रीति रिवाज अनुसार अपीलांट को गोद लिया था जिसकी लिखापढी भी की गयी। जिसके बाद सन 1994 मे लाडशाह के द्वारा एक स्टांप पेपर खरीद कर परिवार व अन्य गवाहो के समक्ष अपनी स्वेच्छा से अपनी जायदाद अपने गोद पुत्र मो. इकबाल के नाम से बख्शीश करते हुए बख्शीशनामा स्टांप पर निष्पादित किया गया है। जिसके बाद सन 1995–96 मे स्व लाडशाह का परिवार कार्ड भी बनाया गया है। जिसमे भी लाडशाह मुखिया के रूप मे दर्ज होकर उसमे मो. इकबाल को पुत्र बताया गया है। जिसके बाद मे परिचय पत्र भी अपीलांट का बनाया गया है। सन 1997 मे खातेदार लाडशाह का देहान्त हो गया। जिसके बाद उपरोक्त खातेदारी की भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार काबिज अपीलांट ही है अपीलांट के अतिरिक्त अन्य कोई उक्त भूमि का खातेदार नही है। जिससे उक्त भूमि का विधि अनुसार खातेदार काश्तकार होने एवं मौके पर बतौर खातेदार कब्जा काश्त अपीलांट का ही चला आ रहा होने से भूमि का हितग्राही अपीलांट ही है तथा खातेदार लाडशाह का विधिक उतराधिकारी एकमात्र अपीलांट ही होने से उक्त अपील पेश करने के लिये अपीलांट को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अपीलांट के अलावा इस विवादित भूमि का अन्य कोई काबिज काश्तकार नही है और न ही खातेदार लाडशाह का कोई विधिक उतराधिकारी है।

{3}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि ग्राम कुचेरा का शुद्वि नामान्तरकरण सं. 2 दिनांक 10.01.2020 जारी किया गया। जो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया है।

अपर कलक्टर, नागौर

{4}—उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा कुचेरा के शुद्वि नामान्तरकरण सं. 2 दिनांक 10.01.2020 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा लाडशाह पुत्र शोकनशाह के नाम से जारी फोटोप्रति परिवार कार्ड दिनांक 12.02.96 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र लाडशाह पुत्र शोकीनशाह दिनांक 19.12.97 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। जिससे लाडशाह पुत्र शोकीनशाह होना प्रतीत होता है। इसके विपरीत लाडशाह चेला शोकीनशाह की दुरूस्ती शुद्वि पत्र जैर अपील किस आधार पर की गई। ऐसा तहसीलदार द्वारा जारी आदेश अथवा आदेश दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाये गये है। ऐसी स्थिति मे लाडशाह पुत्र शोकीनशाह के स्थान पर लाडशाह चेला शोकीनशाह शुद्वि किये जाने को लेकर कोई युक्तियुक्त कारण नही है तथा न ही अपीलांट को उक्त कार्यवाही से पूर्व सुना गया हो, ऐसा भी प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर अपीलांट को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{6}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर